Government of Uttarakhand Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.738 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sukhi-Bhalgaon motor road from Near to SuraiThota Police Chouki at Bardghat. Under State Sector (Length 5.00 Km). Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		D. 1
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.738 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Remark There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	road is affixed in the forest file. There are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature shecsh' Joshi) (District Magistrate Chamoli) धकारी माली

DM FRA Letter

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar Dated:.....

DM FRA Letter

Signature (M) 3 18 (Asheesh Joshi) (District Magistrate Chamoli) प्रपत्र 232

ना का नामः-

जनपद चमोली में टाइबल सब प्लान के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी–भलगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेत्

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड़ चमोली के अन्तर्गत सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1738हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि २-२-१८ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननाुसार है:--

1- AT JULY OUX AILOW M	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- श्री स्विश न्त्रभार दव	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3- श्री विजय प्रसाद पुर्राहता	सहायक समाज कल्याण अधिकारी,	सदस्य / सचिव
4- \$1 45-54 15 301 EC	बी.डी.सी. क्षेत्र	सदस्य
1-2196		

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सुराईथोटा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी—भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे । 17438वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत

रतियक समाज कल्याण अधिकरेंगे

बिङ्ख्य-/जोरीमाठ।

वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम समा⁄पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

জাহাদিত

अस्य सदस्य अस्य स्वयः अस्त्र प्रचायत तोलगा विकास खण्ड जोशीगत (क

उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य ब शि मठ

<u>मपत्र –23.1</u> <u>- 15-01-201</u> को ग्राम सभा <u>रत्र भी – 23.1</u> की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में ननलिखित सदस्य उपस्थित हुए ग्राम समा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम जनसे-द्रोसि ह हस्ताक्षर WI allax 4181242 ZIDILIS Stric HEF MID me Dewender Sugh Shutola HIBARIAE i Galler Ji to gifte 29802) Starosilis E 3100milde vare र्राहेन्द्र सिंह दबाद 3/68 Dowi Dovo For which De Savenda Simon 32001 ATE अन्मल सिंह राषत मे जा देवे 2-318 अक्षेत्र पचायत तोलमा विकास खण्ड जोशीनत् (वमोली)

23(4)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत सुराईंथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामक स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में सुराईथोठा पुलिस चौकी के समीप बड़घट नामकं स्थान से सूखी-भलगांव तक मोटर मार्ग निर्माण जनहित का निर्माण है। इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ग्राम वासियों की आम सभा हुई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि इस निर्माण पर पड़ने वाली नाप भूमि/सिविल/वन पंचायत/आरक्षित भूमि आदि किसी प्रकार की भूमि में मोटर मार्ग निर्माण में इस ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जाता है ।

